-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुषकर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त फरमान उर्फ बाबा खान पुत्र अय्युब अहमद निवासी मौ0 अफगनान पश्चिमी निकट गदियो वाली मस्जिद नकुड़ रोड़ कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 363,366 भादवि व पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.05.2024 मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **फरमान उर्फ बाबा खान पुत्र अय्युब अहमद निवासी मौ0 अफगनान पश्चिमी निकट गदियो वाली मस्जिद नकुड़ रोड़ कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को मण्डी रोड़ पर मण्डी परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) व धारा 4 (2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान उर्फ बाबा खान पुत्र अय्युब अहमद निवासी मौ0 अफगनान पश्चिमी निकट गदियो वाली मस्जिद नकुड़ रोड़ कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सुनील वर्मा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 25.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **सन्यासी पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को अपने घर बुलाकर डरा धमका कर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर **मु0अ0सं0 99/2024 धारा 376(3) भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त सन्यासी पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को घास मन्डी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 506 भादवि की वृद्धि की गयी तथा धारा 5/6 पोक्सों अधिनियम के स्थान पर धारा 5F/6 तरमीम की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सन्याशी पुत्र कर्म सिह निवासी ग्राम चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नवीन भाटी थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।